संख्या- 16 /2018/ 1736 /46-2-18-102 (16)/2018

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर, 2018

विषय- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के पेराई सत्र 2017-18 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अनुपूरक बजट में प्राविधानित रू.885.00 करोड़ (रूपए आठ अरब पचासी करोड़ मात्र) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के पेराई सत्र 2017-18 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-24 के अनुपूरक बजट में प्राविधानित रू.885.00 करोड़ (रूपए आठ अरब पचासी करोड़ मात्र) की धनराशि को ऋण के रूप में (संलग्न सूची के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि आप कृपया वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-1 के पैरा-223 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के पेराई सत्र 2017-18 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु तत्काल उपलब्ध कराएँ:-

- उक्त् धनराशि उसी कार्य के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है।
- राज्य सरकार की सामान्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऋण की अदायगी 10 वर्षो में की जाएगी।
- ब्याज की दर 14 प्रतिशत (11.50 2.50) वार्षिक होगी तथा नियमित अदायगी पर 2.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी तथा प्रभावी ब्याज दर 11.50 प्रतिशत होगी।
- मूलधन/ब्याज अदायगी में व्यवधान होने पर 2.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य न होगी तथा प्रभावी ब्याज दर 14 प्रतिशत देय होगी। दण्डात्मक ब्याज दर अदायगी की निश्चित तिथि से अदायगी की वास्तविक तिथि के ठीक पूर्व तक लागू रहेगी।
- मूलधन एवं ब्याज की पहली किश्त की अदायगी की तिथि ऋण आहरण की पहली वर्षगांठ तिथि होगी। अग्रतर किश्तों की अदायगी इसी प्रकार एक वर्ष की समाप्ति पर पडने वाली वर्षगांठ तिथि को की जानी होगी।

....2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2. उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

3. संघ द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान किया जाए या उनके द्वारा ब्याज जमा किया जाये, महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रकार से अवश्य भेजें:-

(1) कोषागार का नाम-

(2) चालान संख्या तथा दिनांक-

(3) जमा धनराशि किश्त ब्याज

(4) लेखाशीर्षक जिसके अर्न्तगत जमा किया गया किश्त ब्याज

(5) शासनादेश संख्या और एस.एल.आर. का सन्दर्भ

(6) पिछले जमा का सन्दर्भ

4. चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

5. भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगें।

6. इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/ महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

7. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियन्त्रक/मुख्य/ वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

8. उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. द्वारा संघ से सम्बद्ध सहकारी चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान सम्बन्धी संलग्न विवरण के अनुसार व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

9. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-''6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-04-चीनी-101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज-03-उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जाएगा।

.....3/

.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6 / 721 /दस-2018 दिनांक 25 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या- 16 /2018/ 1736 (1) /46-2-2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
5- चीनी उद्योग अनुभाग-1/3
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश सं.-16 /2018/ 1736 /46-2-18-102 (16) /2018 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 का संलग्नक।

उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के पेराई सत्र 2017-18 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु स्वीकृत धनराशि रू.885.00 करोड़ का मिलवार विवरण:--

चीनी मिल का नाम/ जनपद	शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)
बिलासपुर (रामपुर)	24.20
बदायूँ (बदायूँ)	23.80
कायमगंज (फर्रूखाबाद)	19.50
साथा (अलीगढ़)	21.30
घोसी (मऊ)	26.00
सुलतानपुर (सुल्तानपुर)	19.00
अनूपशहर (बुलन्दशहर)	38.27
बागपत (बागपत)	56.13
मोरना (मुजफ्फरनगर)	24.03
ननौता (सहारनपुर)	69.55
रमाला (बागपत)	45.14
सरसावा (सहारनपुर)	34.15
बेलरायॉ (लखीमपुर)	83.71
बीसलपुर (पीलीभीत)	43.11
गजरौला (अमरोहा)	25.94
पुवायॉ (शाहजहॉपुर)	20.03
पूरनपुर (पीलीभीत)	37.83
सम्पूर्णानगर (लखीमपुर)	94.38
सेमीखेड़ा (बरेली)	42.95
स्नेहरोड (बिजनौर)	2.21
तिलहर (शाहजहॉपुर)	45.88
महमूदाबाद (सीतापुर)	34.21
नानपारा (बहराईच)	36.32
सठियॉव (आजमगढ़)	17.36
कुल योग–	**885-00**

(रूपए आठ अरब पचासी करोड़ मात्र)

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in